कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं./एसआईक्यूई/19513/2018/758

दिनांकः– 21/06/18

प्राचार्य डाईट,
समस्त जिले।

विषयः– नवीन SIQE लैब विद्यालयों के चयन (द्वितीय चरण) कर सूची भिजवाने के क्रम में।
प्रसंगः– रामाशिप/जय/2017–18/3837 दिनांक 05.06.2018

राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विगत वर्षों से कक्षा 1 से 5 तक SIQE कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निश्चित रूप से विद्यालयों में सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में प्रगति दर्ज की गयी है। शिक्षकों के सतत प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं से शिक्षण विधा में सुधार के प्रयास किये जा रहे है।

श्रीमान शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में SIQE के सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों में शैक्षिक नवाचारों एवं बेस्ट प्रेक्टिस द्वारा शैक्षिक सुदृढ़ता के लिए डाईट के माध्यम से पूर्व में प्रथम चरण के लैब विद्यालयों को स्थापित किया गया है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की डाईट द्वारा तीन आदर्श एवं तीन उत्कृष्ट (32 जिलों से 192 तथा बीकानेर जिले के 12 विद्यालयों कुल 204) विद्यालयों को SIQE लैब विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है।

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित SIQE के तहत प्रोग्राम स्टीयरिंग बैठक में राज्य स्तरीय निर्णय लिया गया जिसके तहत प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नवीन SIQE लैब विद्यालयों का चयन किया जाना है। महोदय के आदेशों की पालना में निदेशालय प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर ने द्वितीय चरण में नवीन SIQE लैब विद्यालय (198) के चयन हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये है–

1. प्रत्येक जिले से 6 नवीन एसआईक्यूई लैब विद्यालयों का चयन किया जाये।
2. प्रथम चरण में चयनित SIQE लैब विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय का चयन किया जाये।
3. प्रत्येक जिले में डाईट प्राचार्य द्वारा मनोनीत कमेटी के माध्यम से विद्यालय का चयन किया जाये।
4. जिले के प्रथम चरण में चयनित ब्लॉक के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक से यथासंभव कम से कम एक विद्यालय का चयन करना सुनिश्चित करें।
5. चयनित विद्यालय में 3 उत्कृष्ट एवं 3 आदर्श विद्यालय हो।
6. चयनित विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक स्टॉफ हो।
7. चयनित विद्यालय में भौतिक संसाधन पर्याप्त हो।
8. चयनित विद्यालय SIQE के समस्त 9 उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु प्रतिबद्ध हो।
9. चयनित विद्यालय में सुनियोजित SIQE अभिलेख संधारण हो।
10. चयनित विद्यालय में कम्प्यूटर आवश्यक रूप से उपलब्ध हो।

नवचयनित लैब विद्यालयों में निम्नांकित गतिविधियों को आवश्यक रूप से कक्षा 1 से 5 में क्रियान्वित करें–

1- भित्ती पत्रिका निर्माण (Wall Painting)
2- भाषा विकास अभ्यास (Language Practice)
3- दिन की कविता (Poetry of the Day)
4- दिन का स्केच (Sketch of the Day)
5- पठन आदतों का विकास {Development Reading Habits (Open Library)}
6- शतरंज के खेल को प्रोत्साहन (Promotion of Chess)
7- हावभाव के साथ कविता वाचन (Rhyme with action)

21/6

Scanned by CamScanner

8- थीम पर नाटक करना (Drama)
9- किताबों की दुकान (Concept of Book Shop)
10- संगीत की अवधारणा (Music concept)
11- विद्यालय अभिलेख संधारण में सुधार (Improvement in School Records Keeping)
12- बच्चों में वैज्ञानिक दृटिकोण पैदा करना एवं जिज्ञासु प्रवृति को बढावा देना (Provide opportunity to children about to develop scientific attitude and promot curiocity.)

नवीन लैब विद्यालयों के रूप में उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जाना है जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम हो तथा जिनमें उपरोक्त गतिविधियों का सुगमता से संचालन हो सके। द्वितीय चरण के लैब विद्यालयों का चयन कर निम्नांकित प्रपत्र में समस्त सूचनाओं को सूचीबद्ध कर दिनांक 28.06.2018 तक एसआईक्यूई अनुभाग निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की मेल आईडी siqerajasthan.state2@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सत्र 2018–19 हेतु विकसित किये जाने वाले एसआईक्यूई लैब विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	डाईटजिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालय का नाम	डाईस कोड	चरण (फेज)	नामांकन कक्षा 1 से 5	संस्था प्रधान का नाम	मोबाइल नम्बर	वि. वि.

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं./एसआईक्यूई/19513/2018/758 दिनांकः– 21/06/18

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राप्राशिप जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
6. उप निदेशक समस्त संभाग को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ जिलों द्वारा एसआईक्यूई लैब विद्यालय चयन की कार्ययोजना एवं चयन प्रक्रिया की सघन मॉनिटरिंग करें।
7. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान/रसमा समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान/रसमा समस्त जिले।
9. विभागीय वेबसाइट प्रभारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पोर्टल पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner